संख्या:-111/2024/आई-786675/001-494आ0-23-5005-002-1-2024
(कम्प्यूटर सं0-1863144)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2024**

विषय: रिट याचिका संख्या-8755/2024 मेसर्स बाबा आनन्देश्वर बनाम स्टेट ऑफ़ उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 तथा अवमानना याचिका संख्या (सिविल)-6542/2024 मेसर्स बाबा आनन्देश्वर कंस्ट्रक्शन बनाम राकेश वर्मा, अधिशासी अभियंता, भवन खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर में पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत राजकीय कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर नगर में स्थित राजकीय आवास संख्या 79 से 91 एवं 93 की मरम्मत हेतु देय अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-585/बीजीबी/112बीजीबी/आई0ओ0सी0 एल0 (भवन)/आवा0/2023-24, दिनांक 22.10.2024 एवं पत्र सं0-589/बीजीबी/112बीजीबी/आई0ओ0सी0एल0(भवन)/आवा0/2023-24, दिनांक 23.10.2024, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-8755/2024 मेसर्स बाबा आनन्देश्वर बनाम स्टेट ऑफ़ उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 तथा अवमानना याचिका संख्या (सिविल)-6542/2024 मेसर्स बाबा आनन्देश्वर कंस्ट्रक्शन बनाम राकेश वर्मा, अधिशासी अभियंता, भवन खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर में पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक-22.10.2024 एवं 23.10.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत राजकीय कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर नगर में स्थित राजकीय आवास संख्या 79 से 91 एवं 93 की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 09.64 लाख(रू0 नौ लाख चौसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति/आवंटन का शासनादेश	स्वीकृति धनराशि	टेण्डर के उपरान्त बचत धनराशि	आवंटन हेतु देय धनराशि	अब तक आवंटित धनराशि	कार्य पर व्यय धनराशि	आईओसीएल से वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								(धनराशि रू0 लाख में)	
1	जनपद कानपुर नगर स्थित गोविंदनगर कालोनी के टाइप-2 में आवास सं0-79 से 91 एवं 93 (कुल 14 आवास) के विशेष मरम्मत का कार्य।	100/2021/262आ0/23-5-21-17(भवन)/2020टीसी, दिनांक-22.09.2021 एवं 20/2022/54आ0/001-23-5-22-17(भवन)/2020टीसी, दिनांक-16.06.2022	20.90	0.23	20.67	20.67	11.03	09.64	09.64
	योग:-								09.64

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 9,64,000(रूपये नौ लाख चौसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-111/2024/आई-786675/001-494आ0(1)/23-5-2024, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी कानपुर नगर।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, कानपुर नगर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
11- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in